

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री सुभाष कुमार (आर.ए.एस)

मु0न0 — 02/2019

1. लालचन्द पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी—

बनाम्.

1. सरपंच ग्राम पंचायत राजपुरा पंचायत समिति पदमपुर।
2. ग्राम पंचायत राजपुरा जरीये सचिव ग्राम पंचायत राजपुरा।
3. विकास पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी राजपुरा तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्टस—



प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 75 एलआरएक्ट

निर्णय

दिनांक:—28/1/2

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि चक 11 आरबी की जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता सं0 84/25 के मुरबा नं0 47 में 2.530 है0 नहरी/बारानी भूमि रेस्पोंडेन्ट सं0 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त सम्पूर्ण भूमि मुरबा नं0 47 की 2.530 है0 नहरी/बारानी भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड थी और जिस पर अपीलार्थी स्वयं काश्त करता था। लेकिन आज से 4-5 वर्ष पूर्व अपीलार्थी का लड़का रेस्पोंडेन्ट सं0 3 अपीलार्थी को यह कह कर तहसील कार्यालय लाया की आप सम्पूर्ण भूमि की वसीयत करा दो, चूंकि अपीलार्थी को अपने पुत्र के पक्ष में वसीयत कराने से कोई आपत्ति नहीं था। लेकिन रेस्पोंडेन्ट सं0 3 ने धोखे से गिफ्ट के कागजात तैयार करवा लिये ओर अपीलार्थी के नाम सम्पूर्ण गिफ्ट करवा ली। अपीलार्थी ने वसीयत के कागजात समझकर हस्ताक्षर कर दिये व अपने घर आ गया। आज से दो तीन रोज पूर्व अपीलार्थी हल्का पटवारी के पास सरसों की सरकारी खरीद हेतु जमाबन्दी व गिरदावरी लाने गया तो पता चला की अपीलार्थी के नाम उक्त भूमि है ही नहीं बल्कि 4-5 वर्ष पूर्व वसीयत करने आये उस दिन गिफ्ट करवाकर भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने अपने नाम पर


(सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर (राजपुरा)

है। जबकि उक्त भूमि आज भी अपीलार्थी के कब्जा काशत में चली आ रही है जबकि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 अपीलार्थी के गांव का ही था और उसे भली भांति ज्ञान था कि अपीलार्थी ने उक्त भूमि की गिफ्ट किसी को नहीं करवाई है फिर भी गिफ्ट के आधार पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने इन्तकाल संख्या 394 दिनांक 20.09.2013 स्वीकृत कर दिया , और ना ही अपीलार्थी को सूना गया। अपीलार्थी को धोखे में रखकर व विधि विरुद्ध तरीके से रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने गिफ्ट करवाई और रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने मिलकर विधि विरुद्ध तरीके से रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में इन्तकाल संख्या 394 दिनांक 20.09.2013 को स्वीकृत कर दिया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी उक्त इन्तकाल संख्या 394 दिनांक 20.09.2013 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत कर रहा है। जबकि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय बिना किसी उतराधिकार एवं विधि विरुद्ध तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित किया गया है । जो तुरन्त अपास्त योग्य है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 394 दिनांक 20.09.2013 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के पक्ष से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दर्ज किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे ।



प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ता 3 को जरिये नोटिस तलब किया गया रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर कार्यवाही रजिस्टर की प्रति पेश की । रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 ने उपस्थित होकर राजीनामा प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन किया कि अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है व इन्तकाल संख्या 394 दिनांक 20.09.2013 जो रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के पक्ष में स्वीकृत किया गया को निरस्त किया जाता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा अनुतोष में अपीलाधीन इन्तकाल संख्या 394 दिनांक 20.09.2013 को रेस्पोंडेन्ट संख्या 3 के पक्ष से रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दर्ज किया गया है उसे निरस्त फरमाया जावे के लिये निवेदन किया गया है। गिफ्ट को स्वीकृत करने अथवा निरस्त करने की सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं। अपीलार्थी अगर चाहे तो सक्षम न्यायालय में अपील दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है । इस कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकृत नहीं की सकती अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है पत्रावली फौसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28/1/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)

(सुभाष कुमार)

Scanned by CamScanner

